


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुमन देवी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती सुमन देवी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सुमन देवी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सकसेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1633 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती सुमन देवी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती सुमन देवी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार पोखरियाल, प्रधान सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी	जनहित

श्री मनोज कुमार पोखरियाल, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पोखरियाल का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

६०/—

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1634 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री मनोज कुमार पोखरियाल, प्रधान सहायक द्वारा-मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्री पोखरियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय से कि श्री पोखरियाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

०९/०६/२३


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	जनहित

श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती मनदीप कौर का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1635/स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती कौर को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि श्रीमती कौर की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन काण्डपाल, प्रधान सहायक	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	जनहित


श्री नवीन काण्डपाल, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री काण्डपाल का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1636 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री नवीन काण्डपाल, प्रधान सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा को इस आशय से कि श्री काण्डपाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण	अनुरोध पर


श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नेगी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1637 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नेगी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण को इस आशय से कि श्री नेगी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पूरन सिंह भोज, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना	अनुरोध पर

श्री पूरन सिंह भोज, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री भोज का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1638 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री पूरन सिंह भोज, प्रधान सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री भोज को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना को निर्देश के साथ कि श्री भोज की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नवनीत कुमार, प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की	अनुरोध पर

श्री नवनीत कुमार, प्रधान सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1639 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री नवनीत कुमार, प्रधान सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की को निर्देश के साथ कि श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रेनू भट्ट, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर	जनहित

श्रीमती रेनू भट्ट, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती रेनू भट्ट का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1640 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती रेनू भट्ट, वरिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती रेनू भट्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर को इस आशय से कि श्रीमती रेनू भट्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर/चम्पावत।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार रावत, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार	जनहित


श्री अशोक कुमार रावत, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री रावत का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1641 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अशोक कुमार रावत, वरिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्री रावत को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से कि श्री रावत की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौं	जनहित


श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री देवेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1642 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौं को इस आशय से कि श्री देवेन्द्र सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती उषा चमोली, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली	जनहित


श्रीमती उषा चमोली, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती उषा चमोली का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1643 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती उषा चमोली, वरिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती उषा चमोली को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली को इस आशय से कि श्रीमती उषा चमोली की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती हंसी बवाड़ी, वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, प्रदर्शन, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, देहरादून	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण	जनहित


श्रीमती हंसी बवाड़ी, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती हंसी बवाड़ी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1644 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 04-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती हंसी बवाड़ी, वरिष्ठ सहायक द्वारा सहायक निदेशक, प्रदर्शन सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सहायक निदेशक, प्रदर्शन सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, देहरादून।
4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण को इस आशय से कि श्रीमती बवाड़ी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
7. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
8. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
9. संयुक्त कृषि निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर, देहरादून	अनुरोध पर


श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री विजय कुमार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ 1645 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री विजय कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर, देहरादून को निर्देश के साथ कि श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अतुल शर्मा, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	अनुरोध पर

श्री अतुल शर्मा, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री शर्मा का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1646 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अतुल शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शर्मा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को निर्देश के साथ कि श्री शर्मा की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली/टिहरी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अरुण कुमार, कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल	अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	जनहित


श्री अरुण कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1647 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- श्री अरुण कुमार, कनिष्ठ सहायक द्वारा सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल।
- सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को इस आशय से कि श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
- कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जीवन चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग	जनहित

श्री जीवन चन्द्र, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जीवन चन्द्र का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

20/1
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1648 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री जीवन चन्द्र, कनिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से कि श्री जीवन चन्द्र की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


20/6/23
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क0सं0	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शाहनवाज उल्ला, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग	जनहित


श्री शाहनवाज उल्ला, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री शाहनवाज उल्ला का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा0 अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ0नि0/ 1649 /स्था0अनु0-1/लि0सं0/वार्षिक स्थाना0/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री शाहनवाज उल्ला, कनिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शाहनवाज उल्ला को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग को निर्देश के साथ कि श्री शाहनवाज उल्ला की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/चमोली।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गोकुल चन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर	अनुरोध पर


श्री गोकुल चन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1650 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री गोकुल चन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक द्वारा-मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस आशय के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर को आशय के साथ कि श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर	अनुरोध पर

श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सेमवाल का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1651 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सेमवाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर को निर्देश के साथ कि श्री सेमवाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विशाल कुमार, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	अनुरोध पर


श्री विशाल कुमार, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1652 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विशाल कुमार, कनिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को आशय के साथ कि श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	अनुरोध पर


श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री शर्मा का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1653 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिक्यासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शर्मा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय के साथ कि श्री शर्मा की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री देवेन्द्र सिंह कुंवर, कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	अनुरोध पर

श्री देवेन्द्र सिंह कुंवर, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुंवर का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1654/स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09-06-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री देवेन्द्र सिंह कुंवर, कनिष्ठ सहायक द्वारा-मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली को इस आशय के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुंवर को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय के साथ कि श्री कुंवर की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून